न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 1/2020
GCMS NO. : 2020/00002

-:: प्रार्थी ::-

1. चेतन पुत्र गोकल
जाति-बावरी निवासी रामावास
कलां तहसील जैतारण
जिला-पाली।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. बाबू पुत्र हापू
2. आसू पुत्र हापू
जाति-बावरी निवासी रामावास
कलां तहसील जैतारण
जिला-पाली।
3. तहसीलदार जैतारण जिला पाली
4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण
जिला पाली
5. पटवारी, पटवार हल्का रामावास
कलां तहसील जैतारण जिला
पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 08/01/2020

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 28/02/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा रामावासकलां पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली में सायल एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 215 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 279 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है जिसमें सायल का 1/8 हिस्सा व गैरसायलान संख्या 1 व 2 का भी 1/8 हिस्सा था लेकिन उन्होनें आधी जमीन बेचान करने के बाद वर्तमान में 1/16 वां हिस्सा गैरसायलान संख्या 1 व 2 का आया हुआ है जो सामलाती है, जिस पर सायल एवं गैरसायलान का कब्जा काश्त है। गैरसायलान संख्या 01 आदतन झगडालु एवं शराबी प्रवृति का व्यक्ति है। सायल एवं गैरसायलान की जमीन आम रास्ते पर आयी हुई है। गैरसायलान 01 अपना हिस्सा पूर्व में जो आम रास्ते पर काबिज था को बेचान कर चुका है एवं अब सायल की जमीन अपनी बताकर रास्ते पर स्थित मुख्य फ्रन्ट की जमीन बेचने पर आमादा है क्योंकि मौके पर बंटवाडा नहीं हो रखा है। गैरसायल संख्या 01 ने सायल [illegible] 2019 को ऐलानिया धमकी दी कि मैं मुख्य सड़क फ्रन्ट की भूमि का [illegible] को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर दूंगा एवं तुम्हारे मुख्य [illegible] की जमीन के हक हिस्से व बंट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

भूमि से तुम्हे बेदखल कर दुंगा। यदि गैरसायलान संख्या 1 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है एवं संयुक्त सामलाती खातेदारी भूमि के मुख्य फ्रन्ट रास्ते की तरफ के भू-भाग का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देता है तथा बेदखल कर देता है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए गैरसायलान संख्या 01 द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा सायल का मौके पर अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायल संख्या 01 बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा करवाये बिना ही उक्त भूमि के मुख्य फ्रन्ट रास्ते के भू-भाग को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण आदि कर देता है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 43 रकबा 215 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 279 बीघा 10 बिस्वा भूमि सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें से सायल अपने हक-हिस्से व बंट की भूमि में काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करें या करावें तो उसमें गैरसायलान उनके बाल बच्चे नौकर-चाकर, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नहीं करें एवं जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक गैरसायलान संख्या 01 मुख्य फ्रन्ट रास्ते के भू-भाग की जमीन का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नहीं करें एवं सायल को अपने मुख्य फ्रन्ट रास्ते के भू-भाग से बेदखल नहीं करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान उनके बाल बच्चे नोकर चाकर आदि एजेन्ट को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावें एवं वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखी जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा. मि. है। गैरसायल संख्या 1 बावजूद नोटिसेज सूचना के एवं बार-बार रूक-रूक कर अवाजें दिलाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 2 ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। गैरसायल संख्या 2 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रा.पत्र में वर्णित भूमि राजस्व मौजा रामावास कलां पटवार हल्का रामावास कलां में खसरा नम्बर 43,46,47 कुल खसरा 3 कुल रकबा 279 बीघा 10 बिस्वा की आई होने के कथन सही होने से स्वीकार है। प्रा.पत्र में वर्णित भूमि सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त व सामलाती पैतृक पुश्तैनी है तथा गैरसायल संख्या 1 आदतन शराबी व झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो जवाब देहन्[illegible] जवाब देहान्दा की माता-पिता के फौत होने के बाद राजस्व अ[illegible] सांठ गांठ करके बाले-बाले बिना जवाब देहन्दा को बताये जवा[illegible] पुश्तैनी सम्पूर्ण जमीन में स्वयं का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा लिया तथा जवाब देहन्दा को उसके पैतृक पुश्तैनी साम्पैतिक हितों से हमेशा–हमेशा के लिए जान बूझकर षड़यंत्र पूर्वक बेईमानी पूर्वक गलत तथ्यों के दस्तावेज राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर तथा अपने माता–पिता का एक मात्र जायन्दा सन्तान जीवत होने का हवाला देकर कृषि भूमि को बाले–बाले अपने नाम दर्ज करवा ली जो जवाब देहन्दा के हितों के विरूद्ध है। इसलिए जवाब देहन्दा ने अपने हक हिस्से की जमीन अपना नाम दर्ज करवाने के लिए काउण्टर प्रा. पत्र अलग से पेश किया है। सायल चेतन ने गैरसायल संख्या 02 को कभी भी किसी भी प्रकार से धमकी देने से सम्बन्धित ऐलानिया कथन नहीं किया। बल्कि गैरसायल संख्या 01 उक्त भूमि को लेकर सायल को भूमि से बेदखल करने एवं अन्य हस्तान्तरण करने की धमकी दे रहा है तथा रास्ते के फ्रन्ट/मुख्य भू–भाग को गैरसायल संख्या 01 द्वारा बेचान हस्तान्तरण करने में सफल हो जाता है तो सायल एवं जवाब देहन्दा को अपूरणीय क्षति होगी। कृषि भूमि सायल एवं जवाब देहान्दा की पैतृक पुश्तैनी एवं संयुक्त सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा है। उक्त भूमि रास्ते के फ्रन्ट में आने से गैरसायल संख्या 01 बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इसलिए समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस खसरा नम्बरान की भूमि बैचान हस्तान्तरण हो जाती है तो अपूरणीय क्षति भी सायल एवं जवाब देहन्दा को होगी। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र गैरसायल आसू की ओर पेश कर निवेदन है कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सही होने से गैरसायल संख्या 01 द्वारा पुश्तैनी कृषि भूमि का बिना बंटवाडा किये बैचान हस्तान्तरण करने से जरिये स्थगन के जरिये रोका जाना कानूनन जरूरी है ऐसा आदेश फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वाद–पत्र, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी वादग्रस्त आराजी के 80 से अधिक अन्य सह–खातेदारों में से एक सह–खातेदार है एवं वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2072–75 ग्राम रामांवास कलां के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सह–खातेदारी की शामलाती आराजी है, जिसमें 80 से भी अधिक सह[illegible] दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा अन्य सह–खातेदार पक्षकार [illegible] संयोजित नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदारों [illegible] अविभाजित आराजी में प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अविभाजित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा किस स्थान पर है यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/सायल यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में है। फलतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/सायल के विरूद्ध साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी/सायल के साथ अन्य व्यक्ति भी सह–खातेदारान दर्ज है। अतः संपूर्ण आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त सह–खातेदारी भूमि है अतः किसी विशिष्ट भू–भाग पर प्रार्थी को सुविधा का संतुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता जबकि अन्य सह–खातेदारान पक्षकार भी संयोजित नहीं है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही अविभाजित शामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। अतः किसी भी सह–खातेदार को कानूनन विभाजन से पूर्व भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर एकमेव अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि अविभाजित सह–खातेदारी आराजी में यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)